जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 290 वीं बैठक दिनांक 21.12.2020 को प्रातः 11:00 बजे "मंथन कक्ष" में आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री हृदेश कुमार शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री आर.के. विजयवर्गीय, निदेशक (आयोजना), जविप्रा जयपुर।
3. श्री अवधेश सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री गिरिश पाराशर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमति रिंकू बंसल, सदस्य सचिव, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–

1. श्री गोपाल लाल सैनी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती कुंतल विश्नोई, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नानूराम सैनी, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री अरूण शर्मा, उपायुक्त जोन– 7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री अबूसुफियान चौहान, उपायुक्त जोन–4 एवं 9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अशोक कुमार योगी, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री नरेन्द्र सिंह तंवर, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री लोकेश गौतम, उपायुक्त जोन–13, जविप्रा जयपुर।
10. श्री नवल किशोर, उप निदेशक, जनसंपर्क, जविप्रा, जयपुर।
11. अरबन प्लानर/वास्तुविद–जोन 12, बीपीसी (एलपी), जविप्रा जयपुर।

एजेण्डा संख्याः–1 (290/21.12.2020)

विषयः–बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 289 दिनांक 11.12.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

बीपीसी (एलपी) की बैठक संख्या 289 दिनांक 11.12.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। गत दो बैठकों में लंबित अनुपालना की रिपोर्ट की समीक्षा की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (290/21.12.2020) जोन–01

विषयः–भूखण्ड संख्या सी–6ए, सी–5बी, एवं सी–5सी सरदार पटेल मार्ग सी–स्कीम को पुर्नगठन किये जाने के सबंध में।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तो के साथ पुर्नगठन करने का निर्णय लियाः–

1. आवेदक से नियमानुसार पुर्नगठन राशि ली जावे।
2. पुर्नगठित भूखण्डों पर पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार देय होगें।
3. प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण पुर्नगठन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
4. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा उपविभाजन/पुर्नग्रहण/बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–3 (290/21.12.2020) जोन–05

विषयः–श्री शान्तिवीर दिगम्बर जैन अहिंसा ट्रस्ट द्वारा भूखण्ड संख्या 277, पदमावती कॉलोनी में मंदिर निर्माण हेतु अनुज्ञा बाबत्।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त सडक पर अनेक धार्मिक स्थान बिना स्वीकृति के पूर्व में ही बनाये जा चुके हैं। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत मास्टर विकास योजना 2025 के डीपीसीआर वाल्यूम 4 तालिका 10.1.1 के उपबिन्दु 32 अनुसार धार्मिक अध्यात्मिक संस्थान हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर तथा न्यूनतम सडक की चौडाई 12 मीटर अनिवार्य है जबकि प्रस्तावित भूखण्ड क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम तथा वांछित सडक की चौडाई मौके पर 9.00 मीटर उपलब्ध है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये भूखण्ड का क्षेत्रफल एवं सडक की चौडाई में शिथिलता प्रदान करने के सबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबंधित जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्याः–4 (290/21.12.2020) जोन–07

विषयः–ग्राम गिरधारीपुरा तहसील एवं जिला जयपुर के खसरा नं. 29/1 रकबा 2529.00 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय एकल भूखण्ड अनुमोदन बाबत।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत आवेदक के कब्जे से बाहर की भूमि का मौका निरीक्षण करने हेतु उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया तत्पश्चात् प्रकरण को संपूर्ण तथ्यों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–5 (290/21.12.2020) जोन–09

विषयः– निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना शिव ऑफिसर्स कॉलोनी विस्तार पार्ट प्रथम के पुर्नगठित आवासीय भूखण्ड संख्या ए–41 एवं ए–42 क्षेत्रफल 1436.51 वर्गगज मे प्रार्थीगण श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री सीताराम शर्मा एव श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री रामकिशन शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासीय भूखण्ड को व्यावसायिक (Hotel-TourismUnit) भू–उपयोग परिवर्तन के सबंध में।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा 1554/2004 के क्रम में निर्देश दिनांक 12.01.2017 में उल्लेखित बिन्दुओं बाबत् राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया था जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु पुनः स्मरण पत्र प्रेषित करने हेतु एवं मार्गदर्शन प्राप्त होने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–6 (290/21.12.2020) जोन–09

विषयः–ग्राम टोडीरामजानीपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 230/29 किता 1 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि का आवासीय एकल भूखण्ड अनुमोदन बाबत।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न बिन्दुओं के सबंध में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट करने बाबत् उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गयाः–

1. अन्य खातेदार द्वारा समर्पित सडक क्षेत्र के उपयोग के सबंध में।
2. आस पास के भूखण्डों की स्थिति के सबंध में।
3. राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल की भूमि के विभाजन (तकास्मा) के सबंध में नियम।

तत्पश्चात् प्रकरण को संपूर्ण तथ्यों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–7 (290/21.12.2020) जोन–11

विषयः– आवेदक मैसर्स मंगलम बिल्ड डवलपर्स लि. जरिये निदेशक श्री रामबाबू अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय 6 फ्लोर, अपेक्स मॉल, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर के द्वारा ग्राम मुहाना तहसील सांगानेर के 2042, 2049, 2083, 2084, 2085, 2086, 2075, 2076, 2079, 2080, 2081, 2082, 2039/5, 2040/5, 2088/5, 2107/1, 2108/1, 2039/4, 2040/4, 2088/4, 2089/3, 2039/3, 2040/3, 2088/3, 2089/2, 2039/1, 2040/1, 2041/2, 2087/2, 2088/1, 2089/1, 2039/2, 2040/2, 2088/2, 2041/1, 2087/1, 2089/2872 कुल किता 37 कुल रकबा 3.206344 हैक्ट. (उप विभाजित आवासीय ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड–बी क्षेत्रफल 32063.44 वर्गमीटर) भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अर्फोडेबल हॉउसिंग प्लोटेड योजना (3बी के अन्तर्गत) मानचित्र अनुमोदन बाबत।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में निम्न शर्तो के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अर्फोडेबल हॉउसिंग प्लोटेड योजना (3बी के अन्तर्गत) मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदक द्वारा पूर्व में जारी एकल पट्टा विलेख को जविप्रा के हक में समर्पित किया जावे।
2. आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अर्फोडेबल हॉउसिंग प्लोटेड योजना (3बी के अन्तर्गत) के प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही करने का शपथ पत्र लिया जावे।
3. नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 03.08.2012 व 26.02.2013 के प्रावधानों के क्रम में एचटी लाईन से 12.18 प्रतिशत व सडक उपयोग से 33.67 क्षेत्रफल प्रभावित होने के कारण, नियमानुसार योजना में 10 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र आरक्षित किये जाने के प्रावधान में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।
4. योजना के भूखण्डों में पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार देय होगें।
5. प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण उपविभाजन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
6. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 18.05.2018 के अनुसार उपविभाजन राशि ली जावे।
7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत अर्फोडेबल हॉउसिंग प्लोटेड योजना (3बी के अन्तर्गत) के प्रावधानों के अर्न्तगत योजना का अनुमोदन किया जावे।
8. ठोस कचरा प्रबंधन एवं मोबाईल टावर हेतु भूमि योजना में दर्शित पार्क के अतिरिक्त अन्य स्थल पर नियमानुसार क्षेत्रफल के भूखण्ड दर्शाते हुये योजना मानचित्र जारी किया जावे।
9. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा पुर्नग्रहण/बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–8 (290/21.12.2020) जोन–11

विषयः– ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के खसरा नं. 864/327, 865/327, 870/326, 871/326 कुल किता 4 रकबा 0.2052 हैक्टेयर भूमि पर (वाणिज्यिक) पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन के सबंध में।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तो के साथ योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. सडक के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडने के पश्चात् ही पेट्रोल पम्प गतिविधि अनुज्ञेय की जावे। इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6.0 मीटर सडक की ओर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. मौके पर आवेदक के कब्जाशुदा भूमि के सबंध में उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
3. पेट्रोल पम्प हेतु आवश्यक गहराई के पश्चात् 30 मीटर की वृक्षारोपण पट्टी रखा जाना अनिवार्य होगा। जो कि आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जा चुकी है तथा प्लांटेशन कोरीडोर हेतु जविप्रा के नाम दर्ज हो चुकी है को सम्मिलित करते हुये संपूर्ण भूखण्ड की लीजडीड जारी की जावे।
4. आवेदक से 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के समतुल्य राशि ली जावे।
5. भूखण्ड पर पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियमानुसार देय होगें।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
7. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा पुर्नगठन/पुर्नग्रहण/बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–9 (290/21.12.2020) जोन–11

विषयः– **आवेदक श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री सत्यनारायण पुत्री स्व. श्रीगंगाराम, श्रीमती मूरी देवीपत्नी स्व. श्रीगंगाराम, श्रीमती कजोडी देवी पत्नी श्री मन्नालाल पुत्री स्व. श्रीगंगाराम, श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री घनश्याम पुत्री स्व. श्रीगंगाराम, श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री मुकेश पुत्री स्व. श्री गंगाराम की ग्राम मदाऊ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 234 रकबा 0.07 हैक्ट. ख.नं. 644/223 रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 646/224 रकबा 1.66 हैक्ट. किता 3 कुल रकबा 1.76 हैक्ट. भूमि पर आवासीय योजना "दा प्लेजर गार्डन" का मानचित्र अनुमोदन बाबत।**

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तों के साथ योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया:–

1. योजना मानचित्र में एचटी लाईन के नीचे नो कन्सट्रक्शन जोन में दर्शाये गये ग्रीन एरिया को पार्क नहीं माना जावे तथा पार्क हेतु 5 प्रतिशत भूमि/ठोस प्रबंध एवं मोबाईल टावर हेतु पृथक से भूमि आरक्षित रखते हुये आवेदक से संशोधित मानचित्र लिया जावे।
2. प्रकरण में टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं प्रचलित भवन विनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।
3. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–10 (290/21.12.2020) जोन–11

विषयः– **ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 563 रकबा 1.17 हैक्टेयर भूमि पर अनुमोदित आवासीय योजना मानचित्र निरस्त करने के सबंध में।**

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि गूगल मानचित्र के अवलोकन करने पर पाया गया कि मौके पर मकानात बने हुये हैं। अतः जोन उपायुक्त द्वारा मौका निरीक्षण कर संपूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गय।

एजेण्डा संख्याः–11 (290/21.12.2020) जोन–11

विषयः– **जोनल विकास योजना 10 की प्रस्तावित 18 मीटर सडक को कमिटमेंट अनुसार अलाईमेंट रखे जाने के सबंध में।**

समिति का निर्णयः—

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत प्रस्तावित 18.00 मीटर सडक पर पूर्व कोई कमिटमेंट है अथवा नहीं तथा आस पास के खसरों की स्थिति के सबंध में जोन उपायुक्त द्वारा परीक्षण किया जावे। तत्पश्चात् प्रकरण को संपूर्ण तथ्यों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः—12 (290 / 21.12.2020) जोन—12

विषयः— **ग्राम नींदड तहसील आमेर के खसरा 3598 / 712, 3599 / 712, 713 कुल किता 03 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि की आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु।**

समिति का निर्णयः—

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्नशर्तों के साथ आवासीय योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः—

1. आवेदक से ठोस कचरा प्रबंधन / मोबाईल टावर हेतु भूमि पृथक से दर्शाते हुये संशोधित मानचित्र लिया जावे।
2. योजना में पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार देय होगें।
3. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान लागू होगें।
4. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी. / विकास शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः—13 (290 / 21.12.2020) जोन—12

विषयः— **आवेदक मैसर्स केडिया रियल एस्टेट एलएलपी जरिये पार्टनर नितिन केडिया पुत्र श्री शिवकुमार केडिया जाति महाजन निवासी 32, केडिया हाउस, नागंल जैसा बोहरा, मुरलीपुरा, जयपुर द्वारा ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा 2227 / 1 कुल किता 01 रकबा 3.5916 हैक्टयर व ग्राम किशोरपुराचारणान तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 306 / 1 रकबा 2.9846 हैक्ट., ख.नं. 307 रकबा 2.8960 हैक्ट, ख.नं. 309 रकबा 2.9087 हैक्ट., ख.नं. 310 रकबा 1.7831 हैक्ट., ख.नं. 311 रकबा 1.2393 हैक्ट. कुल किता 5 रकबा 11.8117 हैक्टेयर इस प्रकार दोनों ग्रामों के कुल किता 6 रकबा 15.4033 हैक्टयर भूमि की मुख्यमंत्री जनआवास योजना 3सी योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है।**

समिति का निर्णयः—

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तों के साथ मुख्यमंत्री जनआवास योजना 3सी योजना अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः—

1. जोनल प्लान में दर्शित 24.00 मीटर सडक को जोनल प्लान अनुसार यथावत कायम रखा जावे।
2. 48 मीटर, 30 मीटर एवं 24 मीटर चौडी सडक पर स्थित भूखण्डों पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनयम अनुसार देय होगें।
3. योजना मानचित्र में दर्शित क्लब के क्षेत्र में से 1000 वर्ग मीटर भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी जावे।
4. योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।
5. योजना में अन्य पैरामीटर्स मुख्यमंत्री जन—आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3—सी अनुसार देय होगें।
6. प्रकरण में अन्य लेय राशि की गणना मुख्यमंत्री जन—आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3—सी के अनुसार होगी।

एजेण्डा संख्याः—14 (290 / 21.12.2020) जोन—पीआरएन—उत्तर दक्षिण

विषयः— **मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना भूवनेश्वरी वाटिका—ई के भूखण्ड संख्या 1, 2 व 9 ,10 क्षेत्रफल 2169.44 के पुर्नगठन हेतु।**

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रश्नगत भूखण्डों की आवासीय प्रयोजनार्थ लीजडीड पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न शर्तों के साथ आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन करने का निर्णय लियाः–

1. आवेदक से नियमानुसार पुर्नगठन राशि ली जावे।
2. पुर्नगठित भूखण्डों पर पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार देय होगें।
3. प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण पुर्नगठन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे।
4. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा उपविभाजन/पुर्नग्रहण/बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

23/12/2020

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान),
जविप्रा, जयपुर।

कमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी(एल.पी.)/2020/डी– 180 दिनांकः–23/12/2020

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय को अवलोकन करवाने हेतु प्रेषित है।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त पृथ्वीराज नगर/प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त, एलपीसी/भूमि/पुर्नवास, जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त भूमि आवाप्ति, जविप्रा, जयपुर
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर I/II/दक्षिण I/II जविप्रा, जयपुर।
11. उपनिदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

23/12/2020

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान),
जविप्रा, जयपुर।